

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2**  
**बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क.300058ए/2014

संस्थित दिनांक-16.05.2014

फा.नंबर-2582014

1.श्रीमती सावित्रीबाई पति स्व० रमेश मेहरा,

(झारिया) उम्र लगभग 58 वर्ष,

2.ललतीबाई उर्फ ललसी पिता स्व० रमेश मेहरा,

उम्र-लगभग 34 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम चारटोला,

तहसील बैहर जिला बालाघाट।

.....वादीगण

**:: विरुद्ध ::**

1.लामू पिता स्व० रामलाल अहीर (यादव), उम्र लगभग-52 वर्ष,

निवासी ग्राम चारटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट।

2.मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट

जिला बालाघाट मध्यप्रदेश(म०प्र०)

.....प्रतिवादीगण

**:: निर्णय ::**

**(दिनांक 30.10.2017 को घोषित)**

01— यह वाद विवादित भूमि खसरा नंबर-36/2 रकबा 0.40 डिसमिल/0.162 हेक्टेयर भूमि मौजा चारटोला, प.ह.नंबर-56 तहसील बैहर जिला बालाघाट के विषय में हक तथा अनुविभागीय अधिकारी बैहर(राजस्व) रा. अपी.प्र.क्र.15(अ-6) 12-13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 के शून्य होने की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादीगण का निवास स्थान एवं जाति तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वर्ष 2012 में कलेक्टर बालाघाट के समक्ष

वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदन पत्र दिया जाना तथा तत्संबंध में कलेक्टर बालाघाट द्वारा तहसीलदार बैहर को जांच हेतु आदेशित किया जाना स्वीकृत किया है।

**03—** वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम चारटोला के स्थाई निवासी है एवं भूमिहीन, निर्धन, मजदूरी पेशा वाले मेहरा जाति के अनुसूचित वर्ग के सदस्य है। वादी क्रमांक 01 के पति एवं वादी क्रमांक 02 के पिता की पैतृक भूमि ग्राम चारटोला, प.ह.नं.56 में खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल/0.162 हेक्टेयर भूमि थी, जिसके स्व0 रमेश मेहरा आत्मज भीखम एक मात्र भूमिस्वामी एवं कब्जेदार थे। रमेश मेहरा की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि के एक मात्र भूमिस्वामी और कब्जेदार वर्तमान समय तक वादीगण है। ग्राम चारटोला प.ह.नं.56 में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल/0.162 हेक्टेयर में वादीगण का पैतृक मकान, बाड़ी और सार तथा कुआ निर्मित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में मकान, खपरा, पोस, छप्पर, कच्चा मकान एवं सार कच्चा पूर्वजों के समय से बना हुआ है, उक्त मकान में स्व0 रमेश एवं उसकी मृत्यु के उपरांत वादीगण विगत 35 वर्षों से लगातार निवासरत है। रमेश की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि से लगी प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि है, जहाँ वह अन्य अपने भाईयों के साथ ग्राम चारटोला में निवासरत है।

**04—** वादी क्रमांक 01 के पति एवं वादी क्रमांक 02 के पिता भूमिहीन थे, जिससे उसके द्वारा मार्च सन् 1981 में कलेक्टर महोदय बालाघाट को एक आवेदन पत्र वादग्रस्त भूमि के संबंध में वासस्थान के लिये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि आबंटित किये जाने का निवेदन किये जाने पर उसे कलेक्टर

महोदय बालाघाट के आदेश एवं निर्देश अनुसार वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 17 दिनांक 26.03.1981 को राजस्व अभिलेखों में विधिवत् स्व० रमेश मेहरा आत्मज भीखम का नाम दर्ज हुआ तथा कलेक्टर महोदय बालाघाट के आदेशानुसार ही बीस सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा पारित आदेश का पालन नायब तहसीलदार महोदय, बैहर के द्वारा रा.प्र.क. 9(अ-6)80-81 में दिनांक 17.06.1981 को विधिवत् प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये भूमि प्रदान की गई थी, जिसमें स्व० रामलाल अहीर, उक्त वादग्रस्त भूमि के वैधानिक प्रक्रियाओं की कार्यवाही में उपस्थित होकर उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में संपूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी और ना ही स्व० रामलाल अपने जीवनकाल में कभी कोई उक्त भूमि से संबंधित कभी हस्तक्षेप, दखलदांजी वादग्रस्त भूमि के संबंध में, स्व० रमेश मेहरा ना ही वादीगण से कभी कोई कब्जे दखल के संबंध में एवं स्व० रामलाल की मृत्यु लगभग 20 वर्षों के पश्चात भी स्व० रामलाल के वारसानों द्वारा कभी कोई विवाद उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपरोक्त सभी जानकारी होने के बावजूद भी वादीगण के कब्जे दखल में कभी कोई विवाद या हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादीगण के स्वत्व व कब्जे के संबंध में दखलदांजी करने का वर्तमान में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

**05—** प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के विरुद्ध सन् 2012 में कलेक्टर महोदय बालाघाट के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया था कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में गलत तरीके से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवा लिया गया है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय बालाघाट द्वारा तहसीलदार बैहर को वादग्रस्त भूमि के संबंध में जांच किये जाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसमें विधिवत् कार्यवाही कर प्रतिवादी

क्रमांक 01 का आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2012 को रा.प्र.क.220(अ-6) 11-12 के अंतर्गत प्रकरण को निरस्त किया गया था, जिसके संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कोई अपील या उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 पर उक्त आदेश बंधनकारी है एवं उस पर स्टोपल के सिद्धांत लागू होते हैं।

**06—** वादग्रस्त भूमि में वादीगण विगत अनेक वर्षों से अर्थात् 12 वर्षों से अधिक कब्जे दखल की जानकारी प्रतिवादी क्रमांक 01 को होने के पश्चात भी कभी कोई आपत्ति या विवाद वादीगण के शांतिप्रिय कब्जे दखल में साथ ही स्व० रामलाल अहीर के द्वारा अपने जीवनकाल में कब्जे के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है, परन्तु सन् 2012 में अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील बिना किसी क्षेत्राधिकार के तथा समय बाधित अपील प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैहर से साठ-गांठ एवं मिली-भगत कर गलत तरीके से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया है, जिसका रा.अपी.प्र.क.15(अ-6)12-13 तथा आदेश दिनांक 04.01.2014 है। प्रतिवादी क्रमांक 01 वादग्रस्त भूमि में दिनांक 04.01.2014 को आदेश प्राप्ति के बाद से वादीगण से अनावश्यक विवाद व लड़ाई-झगड़ा करता है एवं वादग्रस्त भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।

**07—** वादग्रस्त भूमि स्व० रामलाल अहीर की थी तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण एकमात्र भूमिस्वामी हो गये है, जिसके कब्जे दखल में दखलदांजी करने का प्रतिवादी क्रमांक 01 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही स्वत्व के विवाद के संबंध में राजस्व न्यायालय को उक्त विवाद का निराकरण करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने से अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 शून्य है एवं वादीगण पर

बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दिनांक 28.09.2012 के पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने से रेस-जूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादीगण के स्वामित्व व कब्जे की वादग्रस्त भूमि में दिनांक 04.01.2014 के बाद से लगातार कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को कब्जा किये जाने से रोका नहीं गया तो वादीगण को अपूर्ण क्षति होगी तथा वे अपने अधिकार व हितों से वंचित हो जाएंगे।

**08—** अनुविभागीय अधिकारी, बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 शून्य है तथा स्व0 रामलाल एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 का वादग्रस्त भूमि पर विगत 40 वर्ष पूर्व से कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः खसरा नंबर-36/2 रकबा 0.40 डिसमिल/0.162 हेक्टेयर भूमि मौजा चारटोला, प.ह.नंबर-56 तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 या उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

**09—** स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि मौजा चारटोला प. ह.नं.56 में स्थित खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि स्व0 रामलाल की भूमि है जो मूल खसरा नंबर 36 रकबा 4.58 एकड़ भूमि का विभाजित रकबा है। स्व0 रामलाल अहीर थे, जो गांव की गाय(बरदी) चराते थे। स्व0 रामलाल ने शासन से उक्त भूमि नीलामी में खरीदी थी। उक्त खसरा नंबर 36 रकबा 4.58 एकड़ भूमि का कब्जा स्व0 रामलाल ने खरीदकर प्राप्त किया था। उक्त भूमि स्व0 रामलाल की स्वअर्जित भूमि थी, जिस पर उसका ही हक,



अधिकार व कब्जा था। स्व० रामलाल की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के उपरांत उनकी स्व-अर्जित भूमि पर उनके वारसानों का हक है। स्व० रामलाल के द्वारा उक्त खसरा नंबर 36 रकबा 4.58 एकड़ भूमि में से किसी को कोई भी भूमि विक्रय, वसीयत, दान नहीं की गई थी। वादीगण स्व० रामलाल के खानदान के नहीं हैं और ना ही उसके करीबी हैं।

**10—** प्रतिवादी क्रमांक 012 को जब मालूम हुआ कि उसके पिता के नाम की भूमि पर वादीगण द्वारा फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवाया गया है तो उसके द्वारा कलेक्टर महोदय बालाघाट को शिकायत की गई, जिसकी जांच श्रीमान तहसीलदार महोदय बैहर द्वारा की गई, तब वादीगण के द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार बैहर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 9अ-6/1980-81 में पारित आदेश दिनांक 17.06.1981 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 को उक्त जानकारी हुई कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नाम वासदखलकार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है तो प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में अपील पेश कर राजस्व प्रकरण क्रमांक 9-अ-6/1980-81 में पारित आदेश दिनांक 17.06.1981 को चुनौती दी गई, तब राजस्व अपील क्रमांक 15अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 के तहत नायब तहसीलदार के आदेश को प्रभावशून्य घोषित किया गया और अपील न्यायालय ने यह पाया कि वासदखलकार अधिनियम के तहत सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार मात्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राप्त है।

**11—** वादी क्रमांक 01 के पति तथा वादी क्रमांक 02 के पिता स्व० रमेश ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवाया था, जबकि नायब तहसीलदार बैहर को अधिनियम के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त

नहीं था, अधिकार नहीं होने के बाद भी रमेश के पिता भीखम ने रमेश का नाम तहसीलदार से सांठ-गांठ कर मोटी रकम देकर चोरी-छिपे दर्ज करवा लिया था। वादी क्रमांक 01 के पति तथा वादी क्रमांक 02 के पिता रमेश के नाम पर गलत तरीके से नामांतरण किया गया है जिसे अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के राजस्व अपील क्रमांक 15अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 के तहत प्रभावशून्य घोषित किया जा चुका है। राजस्व अभिलेख पर नाम दर्ज हो जाने से कोई भूमिस्वामी अधिकार या हक प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वैधानिक कब्जा नहीं रहा है, इसलिये वादीगण को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई हक प्राप्त नहीं होता है। अनुविभागीय अधिकारी बैहर के आदेश दिनांक 04.01.2014 के बाद वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि पर से वादीगण का नाम विलोपित होकर वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नंबर 36 रकबा 4.58 एकड़ में समाहित हो चुकी है।

**12—** उक्त आदेश वादीगण पर बंधनकारक है इसलिये वर्तमान में वादीगण के नाम पर खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि दर्ज नहीं है और ना ही वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 04.01.2014 के बाद से नायब तहसीलदार बैहर के आदेश दिनांक 17.06.19 प्रभावशून्य घोषित हो चुका है। वादग्रस्त भूमि स्व० रामलाल के वारसानों के हक, कब्जे एवं मालकी की भूमि है। वादीगण द्वारा उक्त वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उससे किसी प्रकार का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा दिनांक 26.02.2014 को प्रतिवदी क्रमांक 01 लामू व अन्य 11 के विरुद्ध घोषणार्थ पाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 12.05.2014 को आदेश 23 नियम व्य.प्र.सं. के अंतर्गत वापस लिया गया था। वादीगण का वाद समयावधि बाह्य है। साथ ही वादीगण द्वारा वाद का

सही मूल्यांकन कर वाद का सही न्यायशुल्क स्टाम्प भी वाद में चस्पा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा झूठे आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

**13—** न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
<b>01.</b>	क्या वादीगण का मौजा चारटोला, प.ह. नंबर-56 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-36/2 रकबा 0.40 डिसमिल/0.162 हेक्टेयर भूमि पर 35 साल से लगातार शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 की जानकारी में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	<b>प्रमाणित नहीं।</b>
<b>02.</b>	क्या विवादित भूमि से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 अवैध होने से वादीगण पर अबंधनकारी है ?	<b>प्रमाणित नहीं।</b>
<b>03.</b>	क्या उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के विधिपूर्ण व स्थापित आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	<b>प्रमाणित नहीं।</b>
<b>04.</b>	सहायता एवं व्यय ?	<b>कंडिका क.25 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।</b>

#### विवादक प्रश्न क्रमांक-02

**14—** वादीगण के अनुसार स्व0 रमेश को स्व0 रामलाल की जानकारी में पट्टा आबंटित किया गया था और उक्त संबंध में तत्समय रामलाल के कथन नायब तहसीलदार द्वारा लिये गये थे, परंतु वादीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही प्रकरण में उक्त पट्टे को प्रस्तुत किया गया है। आदेश दिनांक 04.01.2014 के अवलोकन से दर्शित है कि अनुविभागीय



अधिकारी द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता में आदेश दिनांक 17.06.81 को म0प्र0 वासस्थान दखलकार अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किया गया है। उक्त अधिनियम का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि अधिनियम भूमिहीन व्यक्तियों को निवास स्थान के संबंध में भूस्वामी अधिकारी दिये जाने का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा-9 यह प्रावधान करती है कि उक्त अधिनियम के तहत उपबंधित फोरम और प्रक्रियाओं द्वारा किये गये निर्णय के संबंध में सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होती।

**15—** प्रतिवादी लामू द्वारा वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण तथा स्वयं द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि रमेश भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, परंतु उक्त तथ्य वस्तुतः राजस्व न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। चूंकि अधिनियम की धारा-6 व 7 अपील और रिवीजन का उपबंध करती है और धारा-9 स्पष्ट रूप से उक्त संबंध में स्पष्ट रूप से व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करती है, वादीगण को आक्षेपित आदेश को अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजस्व न्यायालय में चुनौती देनी थी, परंतु वह उक्त संबंध में पूर्णतः मौन है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों और साक्ष्य में यह दर्शित करने का प्रयत्न किया गया है कि वादीगण द्वारा उक्त आदेश का उच्चतर राजस्व न्यायालयों में चुनौती दी गई है और जहाँ से उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक वर्तमान प्रकरण का प्रश्न है, चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-9 तत्संबंध में व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करती है। फलतः आक्षेपित आदेश को शून्य घोषित किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01**

**16—** वादी सावित्री वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके पति रमेश का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि पर वर्ष 1381 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा भूमिहीन होने के कारण शासन के नियमों के तहत उसे आवासीय कच्चा मकान एवं मवेशियों के कोठे हेतु उक्त भूमि आबंटित की गई थी। उसके पति की मृत्यु 28 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उसके पति की मृत्यु के पश्चात से उसका उसकी पुत्री के साथ वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बना हुआ है। प्रतिवादी लामू के पिता स्व० रामलाल के कथन उसके पति रमेश को भूमि का पट्टा प्रदान किये जाने के पूर्व सक्षम पीठासीन अधिकारी द्वारा लिये गये थे, जिसमें स्व० रामलाल द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी, इसलिये प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। विगत 34 वर्षों से निरंतर वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर कब्जे में बने हुए है तथा राजस्व प्रलेखों में भी उनका नाम दर्ज है और वर्ष 2014 में अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा गलत तरीके से रमेश को प्राप्त पट्टे को निरस्त किये जाने के पश्चात भी वादीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जे में है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पट्टे को निरस्त किया गया है, जिस कारण जनवरी, 2014 के उक्त आदेश को अवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाना एवं वादीगण को अनेक वर्षों से वादग्रस्त भूमि के कब्जे में होने से भूमिस्वामी घोषित किया जाना न्यायोचित है।

**17—** सावित्री वा.सा.01 के अनुसार उसने वाद पत्र के साथ आदेश दिनांक 04.01.2014 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01, ग्राम पंचायत की रसीद तथा प्रमाण पत्र प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03, थाना गढ़ी से प्राप्त पुलिस हस्तक्षेप अनुज्ञा प्राप्त सूचना प्र.पी.04, नक्शा प्र.पी.04, ऋण-पुस्तिका प्र.पी.06, नक्शा प्र.पी.07, पांचसाला खसरा

प्र.पी.08, किशतबंदी खतौनी प्र.पी.09 एवं वर्ष 1995-96 से 99-2000 तक पांचसाला खसरा प्र.पी.10 न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कथनों का समर्थन साक्षी गोकुललाल वा.सा.02, मंतु वा.सा.03 तथा चरनसिंह वा.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

**18-** वादी साक्षियों के कथनों का खंडन कर प्रतिवादी लामू प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि भूमि खसरा नंबर 36 रकबा 4.58 एकड़ उसके पिता रामलाल की स्व-अर्जित भूमि है, जिसे रामलाल ने शासन से नीलामी में खरीदा था। उसके पिता की उक्त भूमि में से रकबा 0.40 डिसमिल भूमि पर रमेश पिता भीकम ने अपने नाम पर नायब तहसीलदार से मिलकर वास दखलकार अधिनियम, 1980 के तहत राजस्व प्रकरण क्रमांक 9अ-06 वर्ष 1980-81 में पारित आदेश दिनांक 17.06.1981 के तहत दर्ज करवा लिया, जिसके पश्चात उक्त भूमि खसरा नंबर 36/2 रकबा 0.40 डिसमिल स्व० रमेश के नाम दर्ज हुई। उसे जब जानकारी लगी कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में कोई भूमि विक्रय नहीं की थी, तब उसने कलेक्टर बालाघाट को आवेदन दिया, जिसके पश्चात तहसीलदार बैहर ने जांच की जिसमें वादीगण ने उक्त आदेश दिनांक 17.06.1981 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके पश्चात तहसीलदार बैहर ने आवेदन खारिज कर दिया।

**19-** लामू प्र.सा.01 के अनुसार तत्पश्चात उसने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायालय ने राजस्व प्रकरण 15अ-06 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2014 द्वारा नायब तहसीलदार बैहर के आदेश दिनांक 17.06.81 को खारिज कर दिया और जिसकी अपील कमिश्नर जबलपुर ने भी खारिज कर दी। स्व० रमेश का नाम राजस्व प्रकरणों में गलत तरीके से दर्ज

किया गया था, क्योंकि उसके पिता रामलाल ने कभी कोई भूमि रमेश को विक्रय, दान अथवा वसीयत नहीं की। स्व0 रमेश द्वारा गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसे आदेश दिनांक 04.01.2014 द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो वादीगण पर बंधनकारक है।

**20—** लामू प्र.सा.01 के कथन है कि वादीगण ने इसके पूर्व एक व्यवहार वाद 19अ-14 दिनांक 26.02.2014 को प्रस्तुत किया था, जिसमें उसे व अन्य 11 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। उक्त वाद को दिनांक 12.05.2014 को वापस ले लिया गया। तत्पश्चात वर्तमान वाद केवल उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसके पिता के अन्य वारसान भी जीवित है, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान वाद आदेश दिनांक 04.01.2014 से बचने की नियत से केवल उसे परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उसने जवाबदावा के समर्थन में कमिश्नर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 324अ-6 वर्ष 2013-14 के दिनांक 26.03.2014 से 24.06.2014 की आदेश पत्रिका प्र.डी.01, अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.डी.02 एवं 03, खसरा प्र.पी.04, पांचसाला खसरा प्र.डी.05, खसरा व किश्तबंदी खतौनी प्र. डी.06 लगायत प्र.डी.08, व्यवहार वाद क्रमांक 19अ-14 न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के आदेश पत्रिका दिनांक 12.05.2014 की सत्यप्रतिलिपि प्र. डी.09, उक्त व्यवहार वाद के वादपत्र दिनांक 26.02.14 के दोनों प्रति एवं शपथ पत्र के सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.10 लगायत प्र.डी.12 प्रस्तुत की है।

**21—** विरोधी आधिपत्य हेतु व्यक्ति का दूसरे की संपत्ति पर उसकी जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए अबाध शांतिपूर्ण आधिपत्य आवश्यक है। प्रकरण का अवलोकन करने पर दर्शित है कि स्व0 रमेश को नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.06.81 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का पट्टा

प्रदान किया गया और तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में स्व0 रमेश तथा पश्चात में वादीगण का नाम दर्ज हुआ। वादी साक्षी सावित्री वा.सा. 01 तथा गोकुललाल वा.सा.02 ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होने के संबंध में कथन किये हैं तथा स्वयं प्रतिवादी लामू प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि राजस्व प्रलेखों से भी होती है।

**22—** प्रकरण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य अनुमत आधिपत्य है, क्योंकि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के अधिकार होने की प्रत्याशा में आधिपत्य बनाये रखा गया। वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनका आधिपत्य किस दिनांक विशेष से विरोधी हुआ। केवल लंबा आधिपत्य विरोधी आधिपत्य नहीं होता, जब-तक कि वास्तविक स्वामी के ज्ञान में और उससे विरोधी रहते हुए आधिपत्य स्थापित न किया जाये। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत कल्याणसिंह वि० जीथीबाई, 1995 एम. पी.एल.जे. नोट 35 अवलोकनीय है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विरोधी आधिपत्य के आवश्यक तत्वों को सिद्ध नहीं किया गया है, जिससे विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-**

**23—** पूर्व विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को अधिकार प्रदत्त करने वाला आदेश दिनांक 17.06.81 राजस्व अपील आदेश दिनांक 04.01.2014 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त आदेश दिनांक 04.01.2014 वर्तमान में अस्तित्व में है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य भी सिद्ध है। अब प्रश्न प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप का है। प्रतिवादी लामू द्वारा अपनी साक्ष्य में यह बचाव किया गया है



कि वादग्रस्त भूमि उसके पिता स्व० रामलाल के स्वामित्व की थी। उक्त संबंध में मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गई है तथा उनका दावा आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.डी.02 से वादग्रस्त भूमि मूल खसरा क्रमांक 36 रकबा 4.58 एकड़ रामलाल के नाम पर दर्ज होना दर्शित है तथा वादी साक्षी गोकुललाल वा.सा.01 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि रामलाल की है।

**24—** वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा आधिपत्य में हस्तक्षेप के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और केवल वादी सावित्री वा.सा.01 द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में उक्त संबंध में मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं, जबकि इसके विपरीत अन्य वादी साक्षियों ने ही अपने मुख्यपरीक्षण में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्ण आधिपत्य होना व्यक्त किया है। पूर्व विवेचना से यह दर्शित है कि प्रतिवादी लामू द्वारा म०प्र० वासस्थान दखलकार अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुरूप ही राजस्व न्यायालय में कार्यवाही की गई है। संपूर्ण प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने के संबंध में लेशमात्र तथ्य भी उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी लामू द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु कार्यवाही की गई है, जिस संबंध में वादीगण को भी अधिनियम के तहत उपचार प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा विधि के सम्यक अनुक्रम में की जा रही कार्यवाही को साम्य अनुतोष द्वारा बाधित किया जाना अनुमत नहीं है, जिससे विवादक क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-****सहायता एवं व्यय:-**

**25-** उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

अ-वादीगण वाद व्यय वहन करेंगे।

ब-अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.